## DGA/Tech/REF/1/2023-TECH-O/o DG-DGA-HQ-DELHI



Government of India



लेखा परीक्षा महानिदेशालय DIRECTORATE GENERAL OF AUDIT INDIRECT TAXES & CUSTOMS C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110109 दूरभाष / TEL. :011-23370075

ई-मेल / Email: dg.audit-cbec@nic.in

04.01.2024

To,

The Chairperson,
Real Estate Regulatory Authority,
All States & Union Territories.

2. The Principal Secretary (Housing), States & Union Territories.

Madam/Sir,

# Subject: Designation of Two individual under Section 35(2) & (1a) of the Unlawful Activities (Prevention) Act'1967 and their listing in the Fourth Schedule of the Act- reg.

Please refer to the Guidelines for Reporting Entities (**Real Estate Agents**) under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 dated 04.05.2023 (The Guidelines), issued by DG Audit (The Regulator under PMLA).

2. In view of Para 12 of the Guidelines, please find enclosed herewith Gazette Notification No.5258 dated 29.12.2023 and 02 dated 01.01.2024 (copies enclosed) in respect of the two individual which have been declared as "Individual Terrorists" and have been listed in the Fourth Schedule of the UA(P) Act'1967.

3. It is requested to forward these details to the **Real Estate Agents** who are the reporting entities under the PMLA. The reporting entities may be advised to refrain from entering into any transaction with the persons whose identity matches with the persons detailed in the aforesaid lists/ Notifications and to immediately report to the Regulator and the Director, FIU-IND, in case they come across any such person. They may also be advised to perform enhanced due diligence in respect of a client whose name matches with any of the persons so listed.

Encls: as above

ours faithfully,

(Dr Amandeen Singh)

डॉ अमनदीप सिंह/Dr. AMARDLER के का अपर महानिदेशक/Additional Director General लेखा परीक्षा महानिदेशालय, सीमा शुक्क एव अप्रत्यश्व कर Directorate General of Audit, Costoms & Inderect Taxes केन्द्रीय राजस्य भवन, आई पो. ए२८८, नई दिल्सी Central Revonue Building, I.P. Estate, New Delhi

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122023-250971 CG-DL-E-29122023-250971

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5258]नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2023/पौष 8, 1945No. 5258]NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2023/PAUSHA 8, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5491(अ).—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आंतकवाद में सम्मिलित है ;

और, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, पुत्र निरजंन सिंह और परमिंदर कौर, जिसका जन्म 24.08.1989 को हुआ है और जिसका स्थाई पता ग्राम व डाकघर हरिके, जिला तरनतारन, पंजाब है और जो इस समय एडमंटन, अल्बरटा, कनाडा में रह रहा है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंधित है ; और, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या एक पर आंतकवादी संगठन के रूप मे**ं सूचीबद्ध है** ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा को, सीमा पार के अभिकरण द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, वह कन्धे पर रखकर चलाए जाने वाले राकेट नोदित ग्रनेड द्वारा मोहाली स्थित पंजाब राज्य आसूचना मुख्यालय के भवन पर आतंकवादी हमले में सम्मिलित था ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा पंजाब राज्य, भारत में आतंकवादी क्रियाकलापों को करने के लिए सीमा पार से परिष्कृत विस्फोटक युक्तियों (आईईडी), शस्त्रों, उन्नत हथियारों, विस्फोटकों की विभिन्न माडयूलों को पूर्ती में सम्मिलित रहा है ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा, आतंकवादी मोड्यूलों को तैयार करने, फिरौती, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और मादक पदार्थाों की तस्करी तथा उनसे प्राप्त निधियों या आगतों का पंजाब राज्य और देश के अन्य भागों में आतंकवादी कार्यकलापों में उपयोग करने से संबन्धित आपराधिक मामलों में भी सम्मिलित रहा है ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा तथा उसके सहयोगी, लक्ष्यित हत्याएं, फिरौती तथा भारत के विभिन्न भागों में अन्य राष्ट्र विरोधी कार्यकलाप करके पंजाब राज्य में शांति, विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं ;

और, उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा के विरूद्ध एक बिना समाप्ति तारीख का वारंट जारी किया गया है और उक्त लखबीर सिंह उर्फ लांडा तारीख 09.06.2021 के निगरानी (लुक आउट) परिपत्र संख्या 2144306 के भी अधीन है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि लखबीर सिंह उर्फ लांडा, आंतकवाद मे**ं सम्मिलित है और लखबीर** सिंह उर्फ लांडा, को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन एक आंतकवादी के रूप मे**ं जोड़ा जाना है** ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्र. संख्यांक 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"55. लखबीर सिंह उर्फ लांडा"।

[फा.सं. 11034/17/2022/सी टी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संसोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 709(अ), तारीख 17 फरवरी, 2023 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2023.

**S.O. 5491(E).**—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Lakhbir Singh @ Landa son of Niranjan Singh and Parminder Kaur, born on 24.08.1989, having permanent residence at VPO Harike, District Tarn Taran, Punjab and presently residing in Edmonton, Alberta, Canada belongs to Babbar Khalsa International;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial number 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa backed by cross border agency was involved in the terror attack through shoulder mounted Rocket Propelled Grenade on the building of Punjab State Intelligence Headquarter at Mohali;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa has been involed in supply of Improvised Explosive Devices (IEDs), arms, sophisticated weapons, explosives from across the border to various modules for carrying out terrorist activities in the State of Punjab, India;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa has also been involved in various criminal cases related to raising of terror modules, extortion, killings, planting IEDs, smuggling of weapons and narcotics and using funds or proceeds thereof for terrorist acts in the State of Punjab and other parts of the Country;

And whereas, the said Lakhbir Singh @ Landa and his associates have been conspiring to disrupt the peace, law and order in the State of Punjab by carrying out targeted killings, extortions and other anti-national activities in different parts of India;

And whereas, an open ended warrant has been issued against the said Lakhbir Singh @ Landa and the said Lakhbir Singh @ Landa is a subject of Look Out Circular No. 2144306 dated 09.06.2021;

And whereas, the Central Government believes that Lakhbir Singh @ Landa is involved in terrorism and the said Lakhbir Singh @ Landa is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, in the Fourth Schedule, after serial number 54 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"55. Lakhbir Singh @ Landa".

[F.No. 11034/17/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

**Note :** The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 709(E), dated the 17<sup>th</sup> February, 2023.

AMIT KUMAR Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL JAISWAL Date: 2023.12.29 23:35:17 +05'30'

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012024-251023 CG-DL-E-01012024-251023

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945 No. 02] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945

### गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 02(अ).—विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने तथा आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करती है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, पुत्र समशेर सिंह और प्रीतपाल कौर, जिसका जन्म 11.04.1994 को हुआ है और जिसका स्थाई पता मकान संख्या 970/2, आदेश नगर , गली नंबर 3, श्री मुक्तसर साहेब सिटी पंजाब है और जो इस समय ब्राम्पटन, कनाडा मे रह रहा है, का बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ संबद्ध है ;

और, बब्बर खालसा इंटरनेशनल उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 1 पर आंतकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ; और, उक्त सतर्विंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, जो कि सीमा पार के अभिकरण द्वारा समर्थित है, अनेक हत्याओं में सम्मिलित है और कट्टरपंथी विचारधारा को मानता है, राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे फोन करने में शामिल है, फिरौती की मांग करता है और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करता है ;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ड्रोन के माध्यम से सीमा-पार से उच्च श्रेणी के शस्त्रों, गोला बारूद तथा विस्फोटक सामग्रियों की तस्करी में तथा हत्याएं करने के लिए उनकी आपूर्ति करने में और शार्प शूटरों को भी उपलब्ध कराने में सम्मिलित रहा है ।

और, उक्त सतर्विंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ तथा उसके सहयोगी विध्वसंक कार्य-कलापों, आतंकवादी माड्यूल तैयार करने, लक्ष्यित हत्याएं करने और अन्य राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों सहित अपने कुटील इरादों के माध्यम से पंजाब राज्य में शांति, सामुदायिक सौहार्द और विधि तथा व्यवस्था को भंग करने के लिए षडयंत्र कर रहे हैं ;

और, उक्त सतर्विंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के विरूद्ध इंटरपोल, महासचिवालय (आईपीएसजी), लियोन, फ्रांस द्वारा रेड कार्नर नोटिस संख्या ए-4588/6-2022 जारी किया गया है;

और, उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के विरूद्ध तारीख 12.12.2022 का गैर जमानती वारंट जारी किया गया है तथा उक्त सतविंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ तारीख 15.06.2022 के निगरानी (लुक आउट) परिपत्र संख्या 2245381 के भी अधीन है;

और, केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि सतविंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ आतंकवाद मे सम्मिलित है और सतविंदर सिंह उर्फ सर्तिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्र. संख्यांक 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"56. सतविंदर सिंह उर्फ सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़"।

[फा. सं.11034/01/2023/सी टी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण: विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संसोधन अधिसूचना संख्यांक का. आ. 5491(अ), तारीख 29.12.2023 द्वारा संशोधित किया गया था ।

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 1st January, 2024

**S.O. 02(E).**—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar son of Shamsher Singh and Preetpal Kaur born on 11.04.1994 having permanent address at House No. 970/2, Adesh Nagar, Street No. 3, Sri Muktsar Sahib City, Punjab and presently residing in Brampton, Canada is associated with Babbar Khalsa International;

And whereas, Babbar Khalsa International is listed as a terrorist organisation at serial number 1 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar backed by cross border agency was involved in multiple killing and professes radical ideology, figured in making threatening calls to pro-nationalist leaders, demanding ransom and posting the claims of killings on different social media platforms;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar has been involved in smuggling of high-grade arms, ammunitions and explosive materials through drones from across the border and supplying thereon for carrying out killings and also providing sharp shooters;

And whereas, the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar and his associates have been conspiring to disrupt the peace, communal harmony and law and order in the State of Punjab through nefarious designs including sabotage, raising of terror modules, carrying out targeted killings, and other anti-national activities;

And whereas, Red Corner Notice No. A-4588/6-2022 has been issued against the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar by INTERPOL Secretariat General (IPSG), Lyon, France

And whereas, a non-bailable warrant dated 12.12.2022 has been issued against the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar and the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is a subject of Look Out Circular No. 2245381 dated 15.06.2022;

And whereas, the Central Government believes that Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is involved in terrorism and the said Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar is to be added as a terrorist in the Fourth Schedule to the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, in the Fourth Schedule, after serial number 55 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"56.Satwinder Singh @ Satinderjit Singh @ Goldy Brar".

[F. No. 11034/01/2023/CT-I] PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 5491(E), dated the 29<sup>th</sup> December, 2023.